

कार्यालय आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन
मध्य प्रदेश, ईदगाह हिल्स, भोपाल

क्रमांक- एक/स्था.1/26/2020/ 1678

भोपाल, दिनांक 19-3-2021

॥ आदेश ॥

प्रशासकीय आधार/स्वयं के व्यय पर निम्नलिखित खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उनके नाम के समक्ष कॉलम क्रमांक 04 में वर्णित जिले से स्थानांतरित करते हुए कॉलम 05 में उल्लेखित पदस्थापना वाले जिले में अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना का जिला	नवीन पदस्थापना का जिला	पद स्थापना का आधार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री पंकज कुमार अंचल	खाद्य सुरक्षा अधिकारी	झाबुआ	बड़वानी	स्वयं के व्यय पर
2.	श्री अवनीश गुप्ता	खाद्य सुरक्षा अधिकारी	मुरैना	भिण्ड	माननीय उच्च न्यायालय, ग्वालियर की याचिका क्रमांक 10335/20 के अनुक्रम में अभ्यावेदन का निराकरण
3.	श्री मनीष स्वामी	खाद्य सुरक्षा अधिकारी	इन्दौर	उज्जैन	प्रशासकीय
4.	श्री जितेन्द्र सिंह राणा	खाद्य सुरक्षा अधिकारी	शिवपुरी	होशंगाबाद	प्रशासकीय

2. यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को वर्तमान पदस्थापना से कार्यमुक्त करने की अवधि स्थानांतरण आदेश जारी होने के दिनांक से दो सप्ताह निर्धारित की जाती है। यदि संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी निर्धारित अवधि में कार्यमुक्त नहीं होते हैं, तो उन्हें एकतरफा कार्यमुक्त माना जावेगा।

आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, महोदय द्वारा अनुमोदित

19/3/2021
(अभिषेक दुबे)
संयुक्त नियंत्रक
खाद्य एवं औषधि प्रशासन
मध्यप्रदेश

//2//

पृ0कमांक-एक/स्था.1/26/2020/ 1679

भोपाल, दिनांक 19-3-2021

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. महालेखाकार, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर, जिला - होशंगाबाद/झाबुआ/बड़वानी/मुरैना/भिण्ड/इन्दौर / उज्जैन / शिवपुरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पदेन उपसंचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला होशंगाबाद/झाबुआ/बड़वानी/मुरैना/भिण्ड/इन्दौर / उज्जैन / शिवपुरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. जिला कोषालय अधिकारी, जिला- होशंगाबाद/झाबुआ/बड़वानी/मुरैना/भिण्ड/इन्दौर / उज्जैन / शिवपुरी की ओर सूचनार्थ।
7. प्रभारी अधिकारी राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला म.प्र. ईदगाह हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी, म.प्र. मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
9. उप औषधि नियंत्रक, म.प्र. मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
10. उप संचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन म.प्र., मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
11. प्रभारी अधिकारी आई.टी. शाखा की ओर विभागीय वेबसाईट में अपलोड हेतु।
12. समस्त संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
13. लेखा शाखा/स्टोर/स्थापना-1,2,3 मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।

संयुक्त नियंत्रक
खाद्य एवं औषधि प्रशासन
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन
मध्य प्रदेश, ईदगाह हिल्स, भोपाल

क्रमांक- एक/स्था.1/26/2020/ 1676

भोपाल, दिनांक, 19-3-2021


॥ आदेश ॥

प्रशासकीय आधार पर निम्नलिखित औषधि निरीक्षकों को उनके नाम के समक्ष कॉलम क्रमांक 04 में वर्णित जिले से स्थानांतरित करते हुए कॉलम 05 में उल्लेखित पदस्थापना वाले जिले में अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना का जिला	नवीन पदस्थापना का जिला	पद स्थापना का आधार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री प्रीत स्वरूप	औषधि निरीक्षक	शाजापुर	सागर	प्रशासकीय
2.	श्री जॉन प्रवीण कुजूर	औषधि निरीक्षक	सागर	होशंगाबाद	प्रशासकीय
3.	श्रीमती सोनम जैन	औषधि निरीक्षक	टीकमगढ़	दतिया	प्रशासकीय

2. यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा संबंधित औषधि निरीक्षकों को वर्तमान पदस्थापना से कार्यमुक्त करने की अवधि स्थानांतरण आदेश जारी होने के दिनांक से दो सप्ताह निर्धारित की जाती है। यदि संबंधित औषधि निरीक्षक निर्धारित अवधि में कार्यमुक्त नहीं होते हैं, तो उन्हें एकतरफा कार्यमुक्त माना जावेगा।

आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, महोदय द्वारा अनुमोदित


19/3/2021
(अभिषेक दुबे)
संयुक्त नियंत्रक
खाद्य एवं औषधि प्रशासन
मध्यप्रदेश

//2//

पृ0कमांक-एक / स्था.1 / 26 / 2020 / 1677
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 19-3-2021

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
3. महालेखाकार, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।
4. कलेक्टर, जिला-शाजापुर/सागर/होशंगाबाद/टीकमगढ़/दतिया की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पदेन उपसंचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला शाजापुर/सागर/होशंगाबाद/टीकमगढ़/दतिया की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
6. जिला कोषालय अधिकारी, जिला- शाजापुर/सागर/होशंगाबाद/टीकमगढ़/दतिया की ओर सूचनार्थ ।
7. प्रभारी अधिकारी राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला म.प्र. ईदगाह हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
8. वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी, म.प्र. मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
9. उप औषधि नियंत्रक, म.प्र. मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
10. उप संचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन म.प्र., मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
11. प्रभारी अधिकारी आई.टी. शाखा की ओर विभागीय वेबसाईट में अपलोड हेतु ।
12. समस्त संबंधित औषधि निरीक्षक की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
13. लेखा शाखा/स्टोर/स्थापना-1,2,3 मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

19/3/2021
संयुक्त नियंत्रक
खाद्य एवं औषधि प्रशासन
मध्यप्रदेश